न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठसीन अधिकारी –बी एल कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 155/2016

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
उका पुत्र भगा जाति मेघवंशी निवासी– मेडक कला तहसील रानीवाडा जिला जालोर।		1. मावा पुत्र पूनमा 2. रणछोडा पुत्र पूनमा 3. भूपत पुत्र पूनमा मेघवंशी निवासी मेडक कला तहसील रानीवाडा जिला जालोर। 4. शारदा पुत्री पूनमा पत्नी तेजाराम निवासी रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर। 5. चम्पा पुत्री पूनमा निवासी मेडक कला तहसील रानीवाडा जिला जालोर। 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 17.5.2016 जो जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 55/2016 में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री अमित मेहता, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अर्जुनसिंह राठौड, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 ता 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 6 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 05 अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 55/2016 अनवान उका बनाम मावा वगैराह में

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि मौजा मेडक कला में रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 की खातेदारी की आराजी पुराने ख0सं0 284 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, पुराने खसरा संख्या 85 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रथम सेटलमेन्ट में भगा, रूपो, पुनमा, पदमा पिता गजा के खातेदारी में दर्ज हुई थी। खातेदार रूपा व पदमा लाऔलाद फौते होने पर उक्त आराजी पूनमा व भगा के नाम दर्ज हुई। जिस पर नामा0 संख्या 109 दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट में पूनमा की खातेदारी में से कम आराजी दर्ज होने पर एक राजस्व वाद 12/2014 सहायक कलेक्टर रानीवाडा के समक्ष पेश हुआ जिसमें दिनांक 26.5.2015 को उनके सक्षम दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने पर राजीनामा अनुसार वादीगण की भूमि 2.11 हैक्टर के साथ 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण को दी जाने की डिकी जारी की गई। जिसकी अनुपालना में अपीलाधीन नामा0 संख्या 500 दिनांक 20.7.2015 को स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 500 के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2016 के द्वारा प्रथम अपील को यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 500 सहायक कलेक्टर रानीवाडा के द्वारा दिनांक 26.5.2015 की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसे स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि माननीय अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपीलान्ट को सुना गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित था।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि सहायक कलेक्टर रानीवाडा के आदेश दिनांक 26.5.2015 की पालना करने से पूर्व तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक था कि उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील हुई है या नहीं। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील भी प्रस्तुत कर दी थी। इसके अतिरिक्त सहायक कलेक्टर रानीवाडा के न्यायालय के समक्ष जो राजीनामा सम्पादित हुआ था वह मिलावटी तौर पर तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत वाद में अन्य पक्षकारों के राजीनामा पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं थे। ऐसे में मिलावटी राजीनामा के आधार पर पारित करवाया गया निर्णय/डिक्री तथा उसकी पालना में स्वीकृत किया गया नामा0 संख्या 500 निरस्त करने योग्य था। इस प्रकार स्वीकृत नामा0 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित स्वीकृत किया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.5.2016 तथा नामा0 संख्या 500 दिनांक 28.5.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई पश्चात नये सिरे से नामा0 दर्ज करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 5 के अभिभाषक यह कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि अपीलान्ट जिन आधारों पर प्रथम अपील प्रस्तुत की थी कि सहायक कलेक्टर रानीवाडा के न्यायालय के समक्ष जो राजीनामा पेश हुआ था , उस पर उसके अगूंठा निशान नहीं है जो पूर्णतया असत्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजीनामें एवं सहायक कलेक्टर न्यायालय की प्रस्तुत की गई आर्डरशीट में अपीलान्ट के अंगूठा निशान उपलब्ध थे एवं उसके स्वयं के द्वारा राजीनामा पेश किया गया था, और उसी राजीनामें के आधार पर सहायक कलेक्टर न्यायालय से दिनांक 26.5.2015 को डिक्री जारी हुई और उसी डिक्री/निर्णय अनुसार अपीलाधीन नामा0 संख्या 500 ना0 तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसे स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। इन सभी आधारों पर अपीलान्ट की प्रथम अपील श्रीमान जिला कलेक्टर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

द्वारा अस्वीकार की गई है अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें।

7. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकों द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को अस्वीकार करते हुए यह अपीलाधीन आदेश पारित किया कि " अपीलाधीन नामा0 संख्या 500 ना0 तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा सहायक कलेक्टर रानीवाडा के द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2014 निर्णय दिनांक 26.5.2015 की पालना में स्वीकृत किया गया है। सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अपास्त नहीं करवाया जाता है तब तक उसे अप्रभावी नहीं माना जा सकता है और अपीलाधीन नामा0 में कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है।" हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त तर्क से पूर्णतया सहमत है। ना0 तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा सहायक कलेक्टर रानीवाडा के द्वारा जारी निर्णय दिनांक 26.5.2015 की पालना में अपीलाधीन नामा0 संख्या 500 स्वीकृत किया गया है जिसमें तत्समय किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार करने योग्य है।

आदेश

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर